

आवारा पशुओं के कारण होने वाली दुर्घटनाओं में सहायता पर नर्णय लेने के लिये हरियाणा पैनल

चर्चा में क्यों?

हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल के अनुसार, राज्य सरकार आवारा पशुओं के कारण होने वाली दुर्घटनाओं/घटनाओं से नपिटने के लिये महत्त्वपूर्ण कदम उठा रही है।

मुख्य बंदि:

- ऐसे मामलों में मुआवज़ा नर्धारित करने के लिये सभी ज़िलों में डपिटी कमश्नर की अध्यक्षता में एक समिति की स्थापना की गई है जिसका नर्णय दावा प्रस्तुत करने के चार माह के भीतर होने की उम्मीद है।
- समिति में पुलिस अधीक्षक या पुलिस उपाधीक्षक (यातायात), उप-वर्भागीय मजसि्ट्रेट और मुख्य चकित्सिा अधिकारी के एक प्रतनिधि जैसे सदस्य शामिल हैं।
 - यह समिति ऐसे मामलों में मुआवज़ों पर नर्णय लेते समय मोटर वाहन अधनियम, 1988 के दशिनरिदेशों और मानकों का पालन करेगी।
 - नर्णय संबंघति वर्भाग के प्रमुख सचवि या NHAI (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधकिरण) के परयोजना नर्दिशक को भेजा जाएगा, जनिहें छह सप्ताह के भीतर दावेदार को मुआवज़ा देना होगा।
- मुआवज़े के उद्देश्य से आवारा पशुओं में गाय, बैल, कुत्ते, गधे, नीलगाय और भैंस जैसे पशु शामिल होते हैं।
- चंडीगढ उच्च न्यायालय ने मुआवज़ों की राशिनर्दिषिट की है, जैसे कुत्ते के काटने पर 10,000 रुपए और कुत्ते के काटने से घायल होने पर न्यूनतम 20,000 रुपए।
- ऐसी दुर्घटनाओं के लिये मुआवज़ा प्रदान करने हेतु 'दीन दयाल अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना' पहले से ही चल रही थी।

दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना

- हरियाणा सरकार ने वत्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में 'दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना' शुरू करने की घोषणा की।
- इस योजना के तहत परिवार सूचना डेटा रपिऑजिटरी (FIDR) में सत्यापित डेटा के आधार पर, परिवार के 6 वर्ष से अधिक आयु के सदस्य की मृत्यु या स्थायी दवियांगता पर साथ ही जनिकी वार्षकि आय 1.80 लाख रुपए से कम हो उन्हें 60 वर्ष की आयु तक वत्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- यह योजना मृत्यु या स्थायी दवियांगता के समय व्क्त्की उमर के आधार पर सहायता प्रदान करेगी।